बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

राज्य सरकार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की समस्या के प्रभावकारी निदान हेतु कृतसंकल्पित है। फलतः बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 19, 2008) की धारा 3 में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा 3 की उपधारा 3 में निहित प्रावधान के आलोक में एतद्संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्यों का नामनिर्देशन किया जाता है:-

(i)	निदेशक, संस्थिक वित्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना;	सदस्य
(ii)	बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी के प्रतिनिधि;	सदस्य
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि;	सदस्य
(iv)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम;	सदस्य
(v)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम;	सदस्य
(vi)	राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के प्रतिनिधि;	सदस्य
(vii)	निदेशक, एम0 एस0 एम0 ई0 डी0 आई0, पटना;	सदस्य
(viii)	संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समति;	सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना या उनके प्रतिनिधि;	सदस्य
(x)	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना या उनके प्रतिनिधि;	सदस्य
(xi)	संयुक्त उद्योग निदेशक / उप उद्योग निदेशक प्रभारी	सदस्य सचिव

2. उक्त समिति बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 की धारा 5 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों की पहचान करेगी एवं उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास पैकेज अनुमोदित करेगी।
3. उक्त समिति पुनर्वास योग्य रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक ईकाइयों के पुनर्वास हेतु तत्समय प्रभावी औद्योगिक नीति के अधीन अनुमान्य रियायतों, विनिर्दिष्ट सुविधाएँ एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगी।
4. आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर विशेष सदस्यों को आमंत्रित करेगी।
5. समिति की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
15/1/19
(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2/उ0नि0/शीर्ष समिति की बैठक/35-01/2017- 331/पटना, दिनांकः 16.1.19
प्रतिलिपिः- उप सचिव, ई-गजट, कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

15/1/19
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-2/उ0नि0/शीर्ष समिति की बैठक/35-01/2017-331/पटना, दिनांकः 16.1.19
प्रतिलिपिः- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/राज्य कर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग/ निदेशक, सांस्थिक वित्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/ बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम/ बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/ बिहार राज्य वित्तीय निगम/ उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदशक, तकनीकी विकास/ निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/ अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

15/1/19
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना